

**AREA STATEMENT**

1. PLOT AREA : 1265 X 425 = 538.00 SQ.M.  
 2. PERMISSIBLE B. AREA 50% = 269.00 SQ.M.  
 3. PERMISSIBLE P.A.R. 45% = 242.25 SQ.M.  
 4. PLOT B. AREA ON GROUND FLOOR :  
 1. 685 X 350 = 239.75 SQ.M. (685 X 350)  
 2. PLOT B. AREA ON FIRST FLOOR : 685 X 350 = 239.75 SQ.M.  
 3. PLOT B. AREA OF BALCONY FLOOR : 1265 X 350 = 442.75 SQ.M.  
 4. FROM B. AREA OF THIRD FLOOR : 1265 X 350 = 442.75 SQ.M.  
 5. TOTAL B. AREA : 769.25 SQ.M.  
 6. TOTAL B. AREA OF G.F. & 1<sup>ST</sup> FLOOR : 479.50 SQ.M.  
 7. NET B. AREA OF THIRD FLOOR : 1265 X 350 = 442.75 SQ.M.  
 8. FROM B. AREA OF BALCONY FLOOR : 1265 X 350 = 442.75 SQ.M.  
 9. TOTAL B. AREA OF THIRD FLOOR : 885.50 SQ.M.  
 10. TOTAL B. AREA : 769.25 SQ.M. (885.50 SQ.M.) - (115.25 SQ.M.) = 769.25 SQ.M.

**PROPOSED PLAN OF BOUNDARY WALLS**  
 1. CHAKRI ANIT 510 GINDHAKI LAL DI BHANDDELVA.  
 2. CHAKRI GINISH 510 GINDHAKI LAL DI BHANDDELVA.  
 3. CHAKRI NEMHENT BHUPAR 510 SHAFI DAS DI AGRAWAL.

**NOTE:-**  
 1. DIMENSIONS SHOWN BY RED COLOUR IN SITE PLAN.  
 2. SIGN OF ENGINEER.

**NAME OF OWNERS:-**

**INDORE (M.P.)**

23/11/2022








FRONT ELEVATION.






SECTION



GROUND FLOOR PLAN.





FIRST FL




NEMAYAR ROAD.

SITE PLAN.



FIRST FLOOR PLAN.




SECOND FLOOR PLAN.











- 8. PROP. B. AREA OF SECOND FLOOR = 19
- 9. PROP. B. AREA OF THIRD FLOOR = 19
- 10. TOTAL B. AREA = 708.83 SQ.M.
- 11. PROPOSED PENT HOUSE (6.55 x 30.57) - (0.76 x 0.31 x 2) =

NO. OF FLATS OF G.F.	=	2 NOS.
" " " " F.F.	=	5 "
" " " " S.F.	=	5 "
" " " " T.F.	=	5 "

2296 7/3/02  
 292711W210  
 1984/88  
 3/72x  
 13(10), 20, 43  
 81, 56 & 225  
 4/8/01  
 2/01/02  
 21/1/01



THIRD FLOOR PLAN.



PENT HOUSE PLAN.

STATEMENT

5 X 46.23 = 508.90 S.A.M.

KEY 50% = 254.45 S.A.M.

1.5 = 763.35 S.A.M.

ON GROUND FLOOR.

8 X (93) + (55 X 3.90) = 95.33 S.A.M.

CRST FLOOR:- 555 X 3.213 = 213.59 S.A.M.

ST & STAIR CASE:-

(X 0.91 X 2) + (93 X 3.98) = 36.97 S.A.M.

ST FLOOR:- 213.59 - 16.97 = 194.62 S.A.M.

SECOND FLOOR = 194.62 S.A.M.

THIRD FLOOR = 194.62 S.A.M.

708.83 S.A.M.

(5.55 X 10.57) - (0.72 X 0.91 X 2) = 57.85 S.A.M.

F. = 219.5

F. = 5

F. = 5

F. = 5

PROPOSED PLAN OF BUILDING AT MPL HOUSE NO. 160 & 161 (PART A)  
 EML HOUSE NO. 161/2 UNIT 2 CHITAMPAD ROAD (SETH JASGANTH KISHOR)  
 -INDORE (M.P.)

NAME OF OWNERS :-

1. SHRI ANIL S/O GIRDHARILALJI KHANDELWAL.
2. SHRI GIRISH S/O GIRDHARILALJI KHANDELWAL.
3. SHRI HEHMENT KUMAR S/O SHRAMIDASJI AGRWAL.



NOTE :-

1. OWNERS PLOT SHOWN BY RED COLOUR IN SITE PLAN.

SIGN OF OWNER.


SIGN OF ENGINEER.

Signature of Engineer: *[Signature]*  
 Date: 23/4/2002  
 Stamp: *[Stamp]*

*[Handwritten signature and date]*



AREA STATEMENT



1. PLOT AREA = 12.65 X 40.23 = 508.90 SQ.M.
2. PERMISSIBLE B. AREA 50% = 254.45 SQ.M.
3. PERMISSIBLE F.A.R. 1.5 = 763.35 SQ.M.
4. PROP. B. AREA ON GROUND FLOOR.  
= (6.55 X 8.53) + (2.98 X 6.93) + (6.55 X 3.96) = 55.13 SQ.M.
5. PROP. B. AREA ON FIRST FLOOR:- 6.55 X 3.21 = 21.35 SQ.M.
6. DEDUCTION FOR DUCT & STAIR CASE:-  
= (0.91 X 2.13 X 2) + (0.76 X 0.91 X 2) + (6.93 X 3.98) = 36.97 SQ.M.
7. NET B. AREA OF FIRST FLOOR:- 23.53 - 16.97 = 19.46 SQ.M.
8. PROP. B. AREA OF SECOND FLOOR = 19.46 SQ.M.
9. PROP. B. AREA OF THIRD FLOOR = 19.46 SQ.M.
10. TOTAL B. AREA = 708.83 SQ.M.
11. PROPOSED PENT HOUSE (6.55 X 40.57) - (6.76 X 0.91 X 2) = 678.55 SQ.M.

NO. OF FLATS OF G.F. =	2 NRS.
" " " " F.F. =	5 "
" " " " S.F. =	5 "
" " " " T.F. =	5 "

PROPOSED PLAN OF BUILDING AT PPL HOUSE NO 161/2 UNIT 2 CHITANAND ROAD (SETHI'S) INDORE (M.P.)

NAME OF OWNERS:-

1. SHRI ANIL S/O GIRDHARI LAL JI K
2. SHRI GIRISH S/O GIRDHARI LAL JI K
3. SHRI HEHMENT KUMAR S/O SHYAM D



NOTE:-

1. OWNERS PLOT SHOWN BY RED COLOR

SIGN OF OWNER

SI





कार्यालय

क्षेत्र क्र.

मातृक्रमांक

विशेष

लोक

2296




7/3/02

हरमामशिकी

7

*[Handwritten signature]*

3.227.141DE.



12E.

4. ई. श्रमि  
विवाह नियम

1984/88

2 नियम

12(10), 20, 63

81, 56 के तहत

4 नियम के

श्रम विभाग

की उपस्थिति

B.1



12E.

12E.



# नगर पालिक निगम, कार्यालय

(भवन निर्माण अनुज्ञा शाखा)

## भवन निर्माण अनुमति प्रमाण-पत्र

(भूमि विकास नियम 1984/88 के नियम क्रमांक 27 के अधीन)

29/4/2002

क्रमांक : ...../भवन अनुज्ञा/उत्तर/दक्षिण

दिनांक : .....

प्रति,

श्री अनिल गिरीश शर्मा श्री मिसिस एन हेमन्त पिल्ल स्वामकाश अग्रवाल,

पता 150, 16112 चित्तौद (सेट जगन्नाथ की चाल) इन्दौर,

हाल मुकाम पुराई पोहस्ता एवं 56 प्रकाश नगर, इन्दौर,

महोदय,

खसरा क्र. .... भूखण्ड क्रमांक ..... बस्ती/मार्ग ..... मोहल्ला/बाजार इन्दौर नगर ज़ोन

क्रमांक 758 इन्दौर में भूमि/विकास भूमि/भवन के विकास निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए आपके आवेदन क्रमांक 58

दिनांक 10-1-02 के सन्दर्भ में आपको सूचित करता हूँ कि प्राधिकरण द्वारा (संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर के पत्र

क्रमांक ..... दिनांक ..... अनुसार स्वीकृत अभिन्यास एवं उसकी शर्तों के अधीन) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के

तहत लाल ..... किये गये संशोधन अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है/नहीं की जाती है।

1. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत भवन स्वामी/भू स्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर दी गयी है। इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। इस स्वीकृति दिनांक 19-4-2002 वैध होगी, यदि आवश्यकता हो तो नवीनीकरण हेतु आवेदन दिनांक 19-4-2002 के पूर्व किया जावे।

2. इस स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय इस दाखले के निर्माण स्थल पर रखना अनिवार्य होगा।

3. भवन निर्माण का कार्य निगम से प्राप्त लाइसेंस सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर अथवा वास्तुविद की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त अवैध निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा।

4. स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये पार्किंग स्थल हेतु जो अनुबंध पत्र आपके द्वारा निगम के पक्ष में लिखा गया, उस अनुसार पार्किंग स्थल का निर्माण कर उसे निगम को हस्तांतरित करना होगा, जो कि अंततः पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात भवन के रहवासियों को निगम सौंपेगा। इस संबंध में भवन निर्माता मौके पर पार्किंग स्थल का सूचना पट्ट तथा वाहन के सुलभ आवागमन हेतु भी सूचना पट्ट, स्वयं के व्यय से लगाएगा।

5. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही निगम की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ड्रेनेज लाईन से जोड़े तथा नगर निगम विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एन. पी. टू.) डायमीटर का आरसी. सी. पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजिल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तलघर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्र. 73 के अनुरूप ही होगा। (भंडारगृह, पार्किंग, उपयोग उपकरण रखने हेतु तथा बैंक सेलर निर्माण हेतु।)

6. उपरोक्त स्वीकृति अनुसार आपके भूखंड क्षेत्रफल 508.99 वर्गमीटर पर निर्धारित 1.5 एफ.ए. आर. के साथ आवासीय/आवासीय/आवासीय सह वाणिज्यिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक/सार्वजनिक भूमि उपयोग के अनुसार आपको कुल क्षेत्रफल 708.83 वर्गमीटर पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। जिस हेतु आपके द्वारा उस कार्यालय द्वारा जारी फीस मेमो क्र. 2783-00 दि. 100, 19-4-02 से जमा किये गये हैं। इसमें भूतल के साथ 100+300 तलों की स्वीकृति हेतु हुए इसके अन्तर्गत कुल ..... दुकानों/..... कार्यालयों/..... गोडाउन्स/..... फ्लैट्स के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन उपयोग के अलावा अन्य उपयोग वर्जित रहेगा।

7. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन करने पर उसे पुनः निगम से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

8. पर्यावरण सुधार की दृष्टि से, रेन/रूफ वाटर हार्वेस्टिंग एवं वृक्षारोपण हेतु नगर निगम कोष में भवन अनुज्ञा शुल्क के साथ राशि रु..... आपसे जमा करवाई गई है। जिससे सार्वजनिक उपयोग के स्थलों पर उक्त कार्य निगम द्वारा करवाए जाएंगे।

9. भूतल + दो मंजिल से अधिक ऊँचे भवन निर्माण की स्थिति में भवन निर्माण स्वीकृति की समस्त जानकारी (मय नक्शे के) का एक सूचना पट्ट, निर्माण स्थल पर स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होगा।

10. 250 (दो सौ पचास) वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखंड पर वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य स्वयं के व्यय से आपको करवाना होगा। यह कार्य भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ ही पूर्ण करना होगा तथा नगर निगम की वाटर हार्वेस्टिंग शाखा से सत्यापन कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। आपके द्वारा प्रस्तुत मानचित्र

अन्य शर्तें :- 1. किये गये पालकी दस्तावेजों व संयुक्त रूप से के आधार पर आवासीय की भूमि

3. फीस का स्वीकृत। बिना दे गये तथ्यों के उजागर होने पर दी गई अनुज्ञा स्वतः ही

3. निरस्त माना जावेगा।

दू. 19402,

कुपिता  
29/4/02

भवन अधिकारी

नाम.....

पुनः प्रमाणित  
उत्तर वृत्त/दक्षिण वृत्त  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
24/4/02